

प्र
पत्र
को
जारी
ह
कर
म

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

13/7/22

पत्रावली पेश हुई वकील पद्मकारान उप
हैं संशोधित शीषक पेश किया गया।
बहस छावपत्र 1.1. हेतु सुनी गई।
पत्रावली वाले आदेश दिनांक 20/7/22
को पेश है।

20/7/22

वकील प्रार्थी/अपार्थी/उपस्थित
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 12-8-22
को पेश है।

12/8/22

पत्रावली पेश हुई वकील पद्मकारान उप
हैं बहस अर्चना पत्र में वकील अर्चना
ने अपने अर्चना पत्र में वर्णित तथ्यों
को दोहराया। अर्चना पत्र की चरण
संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमियों
ग्राम खजूरी पटवार मण्डल खजूरी की
जमाबंदी सम्बन्ध 2013-76 की खाता
संख्या 346 की खसरा संख्या 189,
261, 271, 308, 339, 845,
19-05, 2-10, 17-01, 6-19, 767, 780
785, 833, 844 एवं 857 कुल कितना
1-02, 0-05, 3-11 एवं 2-03
॥ कुल रुकबा 67 बीघा 8 बिस्वा भूमि
तथा ग्राम खजूरी की खाता संख्या 344
की खसरा सं. 260 रुकबा 2 बीघा 7 बिस्वा
भूमियां अर्थात् एवं अर्थात् के
संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियां हैं।
राजस्थान कायदेकारी अधिनियम 1955
के प्रावधानों के अनुसार एवं राजस्व
मण्डल द्वारा निर्गमित प्रकरणों में अग्निनिर्धारित
सिद्धान्तों एवं 1964 RRD पेज 88 के अनुसार




तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

साधारणतया एक सह अभिधारी किसी दूसरे सह अभिधारी के विरुद्ध अपेक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्राप्तिगण के पक्ष में साबित नहीं होता है। रिजर्वेटि सह-खातेदारान होने से अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी प्राप्तिगण के पक्ष में साबित नहीं होता है। प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूर्णनीय क्षति प्राप्तिगण के पक्ष में नहीं होने से सुविधा सन्तुष्ट भी प्राप्तिगण के पक्ष में नहीं है।

अतः प्राप्तिना पत्र, राजस्व रिजर्वेटि, बहस वकील प्राप्ति एवं उक्त विवेचन के आधार पर प्राप्तिगण का प्राप्तिना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा नील खारिज किया जाता है निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद लक्ष्मील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।


उपखण्ड अधिकारी
बैजवां (बून्दी)